

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2023/PM7/7 (E-3437106)

New Delhi, dated 30.05.2024

The General Manager (P),
All Zonal Railways/PUs
As per standard mailing list.

Sub: Residency period required for promotion from Sr. ALP, Level-4 to Loco Pilot (Shunter), Grade-II, Level-4.

Ref: Board's letter No. E(NG)I-2006/PM7/21 dated 22.08.2008 (RBE No. 101/2008).

As the Railway Administration are aware, instruction contained in Railway Board's letter No. E(NG)I-2006/PM7/21 dated 22.08.2008 (RBE No. 101/2008), inter-alia provide that Assistant Loco Pilot (Diesel/Electrical) with 2 years' service as Diesel/Electrical Assistant and 60,000 Km. experience on footplate may be promoted to the post of Loco Pilot (Goods), GP-4200 in the eventuality of non-availability of Loco Pilot Shunters, subject to other condition stipulated therein with the personal approval of General Manager.

2. It has been reported that the Railways are facing difficulties in filling up the post of Loco Pilot (Shunter), Grade-II, Level-4 due to lack of eligible feeder category.

3. The matter has accordingly been considered by the Railway Board in consultation with Zonal Railways and Electrical Engineering Directorate and it has been decided that in the eventuality of non-availability of Sr. ALP, General Manager may consider ALP/Sr. ALP for filling up the vacancies of Loco Pilot (Shunter) Grade-II, Level-4 provided that they have

- i. Completed 2 years of service in the combined cadre of ALP/SrALP,
- ii. Completed 60000 km of footplate experience
- iii. Cleared requisite training courses

4. Further after completion of the prescribed promotional training courses and before deputation for independent shunting, newly promoted Loco Pilot (Shunter) -

- a. shall be given LR of the yard where he has to work.
- b. shall be deputed along with qualified regular Loco Pilot Shunter on Loco for shunting for at least one day or more for learning.
- c. shall be deputed with a CLI for handling trains for at least two days or more.
- d. shall be produced before the RSO Officer, for necessary assessment for issue of competency certificate, after he is found suitable by the CLI.
- e. Exact period of deputation on various stages at (a), (b), (c) above is to be decided by the concerned CELE/CEE(OP) depending on the complexity of yard.

This disposes off SWR's letter No. ZHQ/31/2023/93390 dated 19.06.2023.


Sanjay Kumar
Dy. Director/Estt.(N)
Railway Board
E-mail Id- sanjay.kumar6@gov.in

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम7/7 (ई-3437106)

नई दिल्ली, दिनांक 30.05.2024

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
मानक सूची के अनुसार

विषय: वरिष्ठ सहायक लोको पायलट, लेवल-4 से लोको पायलट (शंटर), ग्रेड- II, लेवल-4 में पदोन्नति के लिए आवश्यक रेजिडेंसी पीरियड
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 22.08.2008 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2006/पीएम7/21 (आरबीई सं. 101/2008)

जैसा रेल प्रशासन को ज्ञात है कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 22.08.2008 के पत्र सं. ई (एनजी) I-2006/PM7/21 (आरबीई संख्या 101/2008) में अंतर्विष्ट अनुदेश, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि लोको पायलट शंटर्स की अनुपलब्धता की स्थिति में सहायक लोको पायलट (डीजल/इलेक्ट्रिकल), जिनके पास डीजल/इलेक्ट्रिकल सहायक के रूप में 2 वर्ष की सेवा और फुटप्लेट पर 60,000 किलोमीटर का अनुभव हो, उन्हें महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन लोको पायलट (गुड्स), ग्रेड पे-4200 के पद के लिए पदोन्नत किया जा सकता है।

2. यह सूचित किया गया है कि रेलों को पात्र फीडर कोटि की कमी के कारण लोको पायलट (शंटर), ग्रेड- II, लेवल -4 के पद को भरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।


3. तदनुसार इस मामले पर रेलवे बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय रेलों और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी निदेशालय के परामर्श से विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि वरिष्ठ सहायक लोको पायलट की अनुपलब्धता की स्थिति में, महाप्रबंधक द्वारा लोको पायलट (शंटर) ग्रेड-II, लेवल-4 की रिक्तियों को भरने हेतु सहायक लोको पायलट/वरिष्ठ सहायक लोको पायलट पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि उनके पास –

- i सहायक लोको पायलट/वरिष्ठ सहायक लोको पायलट के संयुक्त संवर्ग में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- ii 60000 किलोमीटर का फुटप्लेट।
- iii अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्लीयर कर लिया हो।

4. इसके अलावा, निर्धारित पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के पूरा करने के पश्चात और स्वतंत्र शंटिंग के लिए नियुक्ति से पूर्व, नए पदोन्नत लोको पायलट (शंटर) को -

- (क) उस यार्ड का एलआर दिया जाएगा जहां उसे कार्य करना है।
- (ख) सीखने के लिए कम से कम एक दिन या उससे अधिक समय तक शंटिंग के लिए लोको पर अर्हित नियमित लोको पायलट शंटर के साथ नियुक्त किया जाएगा।
- (ग) सीखने के लिए कम से कम दो दिन अथवा इससे अधिक समय तक गाड़ियों की हैंडलिंग के लिए सीएलआई के साथ नियुक्ति की जाएगी।
- (घ) सीएलआई द्वारा उपयुक्त पाए जाने के पश्चात, सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक मूल्यांकन हेतु आरएसओ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ङ.) यार्ड की जटिलता के आधार पर उपरोक्त (क), (ख), (ग) पर विभिन्न चरणों पर नियुक्ति की सटीक अवधि संबंधित सीईएलई/सीईई (ओपी) द्वारा तय की जाएगी।

इसके साथ दक्षिण पश्चिम रेलवे के दिनांक 19.06.2023 के पत्र सं. जेडएचक्यू/31/2023/93390 का निपटान किया जाता है।


31.5/24
(संजय कुमार)

उप निदेशक/स्था.(अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

ई-मेल आईडी- sanjay.kumar6@gov.in

सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम7/7 (ई-3437106)

नई दिल्ली, दिनांक 30.05.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाॅफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड